

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 58/2024/ सरफैसी

भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त वसूली शाखा तनावग्रस्त आरित वसूली शाखा तृतीय
मंजिल, मैट्रिक्स गॉल, सेक्टर 4, जवाहर नगर, जयपुर, राजस्थान-302004

.....प्रार्थी

बनाम

- मैसर्स शिव शक्ति रोलर फ्लोर मिल, एसएमजी मार्केट, एनएच 8, बंजारिया कशर, सुरभि
पेलेस के सामने, खेरवाडा, जिला उदयपुर, राजस्थान 313804
1. विपिन कलाल पुत्र श्री प्रकाशचंद्र पता-84, रानी छानी रोड, बडला, खेरवाडा, जिला
उदयपुर, राजस्थान 313803
 2. प्रकाशचंद्र पुत्र श्री मूलचंद पता- भोमटावाडा, नाडीफला, खेरवाडा, जिला उदयपुर,
राजस्थान एवं 84, रानी छानी रोड, बडला, खेरवाडा, जिला उदयपुर, राजस्थान
 3. निर्मलादेवी कलाल पत्नी श्री प्रकाशचंद्र कलाल पता- रानी छानी रोड, खेरवाडा,
जिला उदयपुर एवं 84, रानी छानी रोड, बडला, खेरवाडा, जिला उदयपुर, राजस्थान
-ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थित: श्री राम निवास स्वामी अधिकृत प्रार्थी बैंक

आदेश

दिनांक... 30/04/2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की
प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध
अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।
प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण
को राशि 91.45 लाख रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु
अप्रार्थीगण की जायदाद (1. सभी प्रकार के स्टॉक जैसे कच्चा माल, अर्ध या पूरी तरह से
तैयार उत्पाद जैसे मैदा और दलिया, दालें और मसाले, खाद्यान्न आदि का दृष्टिबंधक। 2. प्लाण्ट
एवं मशीनरी का दृष्टिबंधक। 3. निर्मलादेवी कलाल पत्नी श्री प्रकाशचंद्र कलाल एवं प्रकाशचंद्र
पुत्र श्री मूलचंद कलाल के नाम आवासीय एवं औद्योगिक सम्पत्ति जो गांव बंजारिया खसरा न.
372 पार्ट एवं 387 पार्ट, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है जिसका
क्षेत्रफल 7250 वर्ग फीट है। सीमाएं-उत्तर: प्रकाश, दक्षिण: 15' रास्ता, पूर्व-प्रकाश मीणा,
पश्चिम: रामजी मीणा। 4. प्रकाशचंद्र पुत्र श्री मूलचंद के नाम औद्योगिक सम्पत्ति जो गांव
बंजारिया खसरा न. 372 पार्ट एवं 387 पार्ट, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर, राजस्थान पर
स्थित है जिसका क्षेत्रफल 3600 वर्गफीट है। सीमाएं-उत्तर: 15' रास्ता, दक्षिण: 30' रास्ता, पूर्व-
रामसिंह, पश्चिम: प्रकाश। 5. विपिन कलाल पुत्र श्री प्रकाशचंद्र के नाम औद्योगिक सम्पत्ति जो
गांव बंजारिया खसरा न. 372 पार्ट, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है

M
शिव कलक्टर
उदयपुर

जिसका क्षेत्रफल 2025 वर्गफीट है।) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 30.05.2023 तक 62,77,611.29/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 91.45 लाख रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 30.05.2023 तक 62,77,611.29/- रुपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (1. सभी प्रकार के स्टॉक जैसे कच्चा माल, अर्ध या पूरी तरह से तैयार उत्पाद जैसे मैदा और दलिया, दालें और मसाले, खाद्यान्न आदि का दृष्टिबंधक। 2. प्लांट एवं मशीनरी का दृष्टिबंधक। 3. निर्मलादेवी कलाल पत्नी श्री प्रकाशचंद्र कलाल एवं प्रकाशचंद्र पुत्र श्री मूलचंद कलाल के नाम आवासीय एवं औद्योगिक सम्पत्ति जो गांव बंजारिया खसरा न. 372 पार्ट एवं 387 पार्ट, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 7250 वर्ग फीट है। सीमाए-उत्तर: प्रकाश, दक्षिण: 15' रास्ता, पूर्व-प्रकाश मीणा, पश्चिम: रामजी मीणा। 4. प्रकाशचंद्र पुत्र श्री मूलचंद के नाम औद्योगिक सम्पत्ति जो गांव बंजारिया खसरा न. 372 पार्ट एवं 387 पार्ट, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 3600 वर्गफीट है। सीमाए-उत्तर: 15' रास्ता, दक्षिण: 30' रास्ता, पूर्व- रामसिंह, पश्चिम: प्रकाश। 5. विपिन कलाल पुत्र श्री प्रकाशचंद्र के नाम औद्योगिक सम्पत्ति जो गांव बंजारिया खसरा न. 372 पार्ट, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 2025 वर्गफीट है।) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर